

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
35/019	212 RTA	निधानिया	दुर्गा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
समस्त, कल्याण कोठ	बनाम	समस्त	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

28/01/19 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 29/1/19 को पेश हो।

29/01/19 आज दिनांक 29/01/19 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 31/01/19 को पेश हो।

31/01/19 पत्रावली पेश हुई। समस्त प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 1 नं 12 तलवी समस्त बरत तालील अप्रार्थ। पुनः तलवी हेतु तलवी पेश हो। करते तलवी पत्रावली दिनांक 14/10/19 को पेश हो।

14/10/19 पत्रावली पेश हुई। समस्त प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 1 नं 12 को तलवी हेतु तलवी शि.अ. प्रार्थी पेश हो। करते तलवी पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो।

18/11/19 आज दिनांक 18/11/19 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

3-6-24

न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 29.7.24 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

29.7.24

पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारीकेठ उपर/जवाब अपुर्ण पेश नहीं किया जा रहा है। अंतिक अवसर दिया जाता है। आपका जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द कर दिया जावेगा। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 3.9.24 को पेश हो।

3.9.24

पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारीकेठ उपर/अपुर्ण पेश की कोर के जवाब पेश नहीं हुआ है। Rs. 100/- का पर अंतिक अवसर दिया जाता है। आपका जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बन्द कर दिया जावेगा। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 7.10.24 को पेश हो।

7.10.24

पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारीकेठ उपर/अपुर्ण पेश की कोर के जवाब पेश हुआ। जो शांति पर, नवल वकील पुरी को दी गई। पत्रावली वाले बहम दिनांक 19.11.24 को पेश हो।

19.11.24

पत्रावली पेश हुई। नकुलाल पारीकेठ उपर/अपुर्ण पेश की कोर के जवाब पेश हुआ। जो शांति पर, नवल वकील पुरी को दी गई। पत्रावली वाले बहम दिनांक 19.11.24 को पेश हो।